प्रेस नोट दिनांक-27.08.2020

(1). 14 वर्षों से फरार ₹25000 के टॉरप-10/इनामी अपराधी पंकज उर्फ रमेश मुठभेड़ के दौरान अवैध तमंचा कारतूस के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में टॉप-10,इनामिया,मफरूर/हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री जयशंकर सिंह एवं सोशल मीडिया सेल में नियुक्त उ0नि0 श्री मोहम्मद अकरम की संयुक्त टीमों द्वारा 14 वर्षो से फरार ₹25000 के इनामी अपराधी पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल निवासी अहमदगंज थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान 01 अदद तमंचा 315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी।

आज दिनांक 27.08.2020 को समय 05.30 बजे थाना बहिलपुरवा अंतर्गत ग्राम टेकारी के पास से 14 वर्षो से फरार ₹25000 के इनामी अपराधी पंकज उर्फ रमेश पुत्र कृष्णपाल निवासी अहमदगंज थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर बराम हुआ। पुलिस मुठभेड़ एवं शस्त्र बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 31/2020 धारा 307/504/506 भादवि0 व 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पंकज उर्फ रमेश जनपद चित्रकूट के थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 34/2006 धारा 147/148/149/307/392/412/323 भादवि0 व 14 डीएए एक्ट में पिछले 14 वर्षो से फरार चल रहा था एवं थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, इस अभियुक्त के विरुद्ध जनपद फतेहपुर में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसकी गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट की ओर से ₹25000 का इनाम घोषित किया गया था।

बरामदगीः-

01 अदद तमंचा 315 बोर 03 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री जयशंकर सिंह प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा
2. उ0नि0 श्री मोहम्मद अकरम सोशल मीडिया सेल
3 उ0नि0 श्री राधाकृष्ण तिवारी थाना बहिलपुरवा
4. आरक्षी प्रदीप द्विवेदी एण्टी डकैती टीम
5. आरक्षी लाखन सिंह एण्टी डकैती टीम
6. आरक्षी नीरज कुमार सोशल मीडिया सेल
7. आरक्षी संजय कुमार
8. आरक्षी शरीफ खान

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री के.के. मिश्रा के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्रा थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त भोला गुप्ता पुत्र महादेव गुप्ता निवासी नागर थाना

मानिकपुर चित्रकूट को 550 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 109/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

550 ग्राम गांजा

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री अवधेश कुमार मिश्रा थाना मानिकपुर
2. आरक्षी अरविन्द कुमार मौर्य
3. आरक्षी विकास कुमार यादव
4. आरक्षी दीपचन्द्र

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 26.08.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना रैपुरा में 16 व्यकियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। सभी से अपील की जाती है कि शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करें।

(4). जनपद चित्रकूट पीआरवी 4418 थाना राजापुर अंतर्गत दिनाँक 26/08/2020 को समय 12:05 बजे इवेंट संख्या 5171 द्वारा घटनास्थल लूप लाइन चौराहा थाना राजापुर से एक कॉलर ने सूचना दी कि एक आदमी ने 5-6 वर्ष की बच्ची के साथ गलत काम करने की कोशिश की है। इस सूचना पर पीआरवी तत्काल अल्प समय में घटनास्थल पर पहुंची घटनास्थल पर पहुंच कर पीआरवी कर्मियों को कॉलर की माँ ने बताया कि मेरी 5-6 साल की बच्ची के साथ में दीपक रैकवार s/o राम बहोरी ने छेड़खानी कर गलत काम करने की कोशिश की है और गाली गलौज भी की है पीआरवी कर्मियों ने घटनास्थल से दीपक रैकवार को पकड़ लिया और पकड़ कर थाना राजापुर में सुपुर्द किया गया। थाना राजापुर में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 149/20 धारा 354/504/506 ipc व 8 पास्को एक्ट व 3(1)घ sc/st एक्ट का पंजीकृत किया गया ।

पीआरवी स्टाफ

कमांडर - आरक्षी अमित कुमार

पायलट - होमगार्ड प्रदीप कुमार

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री जयशंकर सिंह एवं पैरोकार आरक्षी सिकन्दर चौहान द्वारा कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप माननीय न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेप/पोक्सो कोर्ट द्वारा मु0अ0सं0 21/15 धारा 323/363/376/34 भादवि0 व 04 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में नामित अभियुक्त 1.गोलू पुत्र बैजनाथ साहू को 07 वर्ष के कारावास एवं 2. रामेश्वर पुत्र नाती पटेल 3. रजोला पुत्र मुन्ना पटेल निवासीगण छीतूपुर थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।